

परिचालन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के
संदर्भ में सूचना

उप संकशन	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4 (b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण,	<p>परिचालन विभाग यात्रियों, माल और अन्य ट्रेनों (विभागीय, शंटिंग, सैन्य ट्रेनों, आदि) के परिचालन से संबंधित है और इसका नेतृत्व वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक करते हैं।</p> <p>कार्य व ड्यूटियां :</p> <p>(i) कोचिंग, माल और अन्य (विभागीय, शंटिंग, सैन्य, आदि) ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी गतिविधियों की योजना, आयोजन, समन्वय, निर्देशन, निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण।</p> <p>(ii) समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार ट्रेनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को संभालना.</p> <p>(iii) गाड़ी परिचालन में संरक्षा.</p> <p>(iv) ट्रेन संचालन में किफायती और दक्षता.</p> <p>संगठन चार्ट देखने के लिए (एनेक्ज़र-1) पर क्लिक करें.</p>
4 (b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p>अधिकारी: रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार अधिनियम और ट्रेन संचालन से संबंधित सभी कार्य करना।</p> <p>स्टाफ: सभी ऑपरेटिंग स्टाफ को समय-समय पर नियमावली, नियम पुस्तिकाओं, परिपत्रों आदि में निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत कर्तव्यों का पालन करना होता है।</p>

4 (b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	सामान्य और अनुषंगी नियमावली, संचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली, स्टेशन संचालन नियम, ब्लॉक कार्य नियमावली, कार्य समय सारणी, सामान्य संरचना, मार्शलिंग आदेश और गाड़ियों के
4 (b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंडs	लिंक, नीति परिपत्र/पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी किया जाता है
4 (b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	सामान्य और सहायक नियम, संचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली, स्टेशन संचालन नियम, ब्लॉक कार्य नियमावली, आदि। इसके अलावा, कार्य समय सारणी, सामान्य संरचना, मार्शलिंग आदेश और ट्रेनों के लिंक, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश, आदि, रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी किया जाता है।
4 (b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	सामान्य और सहायक नियमों के अनुसार, संचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली, स्टेशन संचालन नियम। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे/मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी नीति परिपत्र/महत्वपूर्ण पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि।
4 (b) (vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	लागू नहीं

<p>4 (b) (viii)</p>	<p>बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>4 (b) (ix)</p>	<p>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।</p>	<p>निर्देशिका देखने के लिए यहां (अनुलग्नक-II) क्लिक करें</p>
<p>4 (b) (x)</p>	<p>इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।</p>	<p>यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है। यह मद लेखा और कार्मिक विभागों के दायरे में है।</p>
<p>4 (b) (xi)</p>	<p>अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैन, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।</p>	<p>लागू नहीं</p>

4 (b) (xii)	आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	लागू नहीं
4 (b) (xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	लागू नहीं
4 (b) (xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	लागू नहीं
4 (b) (xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	-----
4 (b) (xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	<p><u>जन सूचना अधिकारी r:</u> श्री वड्डे आंजनेयुलु (वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक), संपर्क नं. : 070-68100 व 0866-2573461</p>

<p>4 (b) (xvii)</p>	<p>इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।</p>	<p>सार्वजनिक समय सारिणी से संबंधित जानकारी अद्यतन की जाती है और दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।</p>
-------------------------	---	---